

बिहार सरकार  
भवन निर्माण विभाग

आदेश

संवेदक, Adarsh Construction, (Prop-Amit Kumar Singh), At-Rahul Nagar, Brahmapura, Dist-Muzaffarpur (Bihar) द्वारा मंडल कारा, सीतामढ़ी में 198 क्षमता के अतिरिक्त पुरुष बंदी कक्ष के निर्माण की निविदा में EMD की राशि, टेंडर फी एवं प्रोसेसिंग फी के संबंध में गलत सूचना देने के कारण मुख्य अभियंता(उत्तर) के पत्रांक-65 दिनांक-09.01.2023 द्वारा संवेदक पर बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी एवं पत्रांक-1784 दिनांक-26.07.2023 से संवेदक, अमित कुमार सिंह के द्वारा श्री रवि चन्द्र, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली-गलौज, असंसदीय भाषा का प्रयोग करना, सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने एवं जान से मारने की धमकी देने की सूचना दी गयी है। साथ ही इस संबंध में उनके द्वारा नगर थाना, मुजफ्फरपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है।

2. तत्पश्चात् अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधित बैठक में इस पर विचार किया गया तथा विचारोपरांत संवेदक के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके निबंधन को दस वर्षों के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया। तदालोक में विभागीय पत्रांक-6103 दिनांक-27.07.2023 एवं शुद्धि पत्र संख्या-6162 दिनांक-28.07.2023 द्वारा संवेदक के निबंधन को दस वर्षों के लिए निलंबित किया गया है।

3. उक्त निलंबन आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No-12326 of 2023 दायर किया गया, जिसमें दिनांक-13.10.2023 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निम्न आदेश पारित किया गया:-

" The principle laid down in the aforementioned decision is not forthcoming in the Show Cause Notice and final orders. On this count, petitioner has made out a case in setting aside the impugned order dated 28.07.2023. Accordingly the impugned order dated 28.07.2023 stands set aside reserving liberty to the concerned/competent authority to proceed in accordance with law. He is hereby directed to issue a detailed Show Cause Notice and on receipt of petitioner's explanation proceed to pass a detailed speaking order after due consideration of each of the contention to be raised by the petitioner in his explanation to the Show Cause Notice. The above exercise shall be completed within a period of four months from the date of receipt of this order"

4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक-09.11.2023 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में हुए बैठक में उक्त विभागीय पत्रांक-9183 दिनांक-09.11.2023 द्वारा निर्गत निलंबन आदेश को निरस्त करते हुए कंडिका-1 में वर्णित दोनो मामलों में अलग-अलग स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया।

तदालोक में विभागीय पत्रांक-9183(भ) दिनांक-09.11.2023 द्वारा उक्त निलंबन आदेश को रद्द करते हुए पत्रांक-9188(भ) एवं 9192(भ) दिनांक-09.11.2023 द्वारा दोनो मामले में अलग-अलग स्पष्टीकरण पूछा गया।

5. संवेदक श्री अमित कुमार सिंह के द्वारा श्री रवि चन्द्र, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली-गलौज करने मार-पीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने के संबंध में पत्रांक-9188(भ) दिनांक-09.11.2023 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया।

समर्पित स्पष्टीकरण में संवेदक श्री अमित कुमार सिंह के द्वारा पूर्व के आवेदन का जिक्र करते हुए उल्लेख किया गया है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं देते हुए विभाग के द्वारा एकतरफा कार्रवाई की गयी है। तदोपरांत संवेदक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No-



123260/2023 दायर किया गया, जिसमें दिनांक-13.10.2023 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निलंबन आदेश सं०-6152(भ) दिनांक-28.07.2023 को समाप्त कर दिया गया है। विभागीय पत्रांक-9183(भ) दिनांक-09.11.2023 द्वारा उक्त निलंबन आदेश को रद्द करने के उपरान्त इस संदर्भ में स्पष्टीकरण की मांग कहाँ तक न्यायोचित है। स्पष्टीकरण की मांग निलंबन के पूर्व की प्रक्रिया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए निलंबन रद्द प्रक्रिया को बरकरार रखा जाए।

उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No-123260/2023 को पारित न्यायादेश की कार्यकारी अंश कंडिका-03 में वर्णित है। तदालोक में ही संवेदक से विभागीय पत्रांक-9183 दिनांक-09.11.2023 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया है। संवेदक के द्वारा अपने कृत के लिए कोई भी नया तथ्य अपने स्पष्टीकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतएव समिति द्वारा दिनांक-19.12.2023 के बैठक में संवेदक के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया गया तथा संवेदक को उक्त मामले में दोषी मानते हुए 10 वर्षों के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश का अनुपालन करते हुए उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संवेदक, श्री अमित कुमार सिंह को कंडिका-5 में वर्णित मामले में दोषी मानते हुए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के नियम-11(v) के तहत संवेदक के निबंधन संख्या-(BCD-Class-II-2210110) को आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 वर्षों के लिए निलंबित किया जाता है।

ह0/-

(सुधांशु शेखर राय)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-02/2023

पटना, दिनांक-

स्पीडपोस्ट

प्रतिलिपि:-संवेदक, Adarsh Construction, (Prop-Amit Kumar Singh), At-Rahul Nagar, Brahampura, Dist-Muzaffarpur (Bihar) का निबंधन संख्या-BCD-Class-II-2210110 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-02/2023.....पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव



ज्ञापांक- भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-02/2023..... 410 (अ) पटना, दिनांक- 11/11/24  
प्रतिलिपि:-आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु  
प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव